(24.12.24)

दिनांक 3.1.25 को पेश हो।

रीडर
जिला कलक्टर दौसा

31/01/2025

जज साहब के अन्य न्यायिक कार्य में व्यस्त होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। पूर्व आदेश को पालना होकर पत्रावली दिनांक 14-02-2025 को पेश हो।

रीडर
जिला कलक्टर दौसा

14/02/2025

अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. से 02 से 06 अनुपस्थित। उपपक्ष अधिवक्तागण ने बहस हेतु अवसर चाहा। अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 10/03/2025 को पेश हो।

जिला कलेक्टर
दौसा

10.3.2025

अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में वाहदी राजीनामा होकर नामान्तरण अपील व विभाजन की अपील को संशोधित करने बाबत राजीनामा पेश हो चुका है। अब अपीलांट इस अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अपील नोट प्रेस में खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पो. के 2 से 6 ने अपील नोट प्रेस में खारिज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। अपील पत्रावली एवं रा. पक्ष का अवलोकन किया गया। अपीलांट अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाती है। [illegible] मूल अपीलांट लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड में बस्ता हो। शुल्क न्यायालय शुल्क लगाया गया।

जिला कलेक्टर
दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:05:10 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official